

राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण-पत्र

बस्तर जिले के बस्तर वनमंडल जगदलपुर के अंतर्गत 220 के.व्ही.डी.सी.डी.एस जगदलपुर - बारसूर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण परियोजना हेतु प्रस्तावित 23.535 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु कलेक्टर जिला बस्तर, जगदलपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है।



(कादिर खान)

कार्यपालन अभियन्ता

400 के. व्ही. लाईन निर्माण संभाग
छ.रा. वि. पारे. क. मर्यादित कांकेर (छ.ग.)



राजू अगसिमनी

(भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी
बस्तर वन मंडल
जगदलपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बस्तर जिला जगदलपुर
// ज्ञापन //

क्रमांक / क / रीडर / 2017

जगदलपुर, दिनांक 08 / 08 / 2017

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
400 के०व्ही० लाईन (निर्माण) संभाग
छ०रा०वि०पारे०कं० मर्या० कांकेर

विषय :- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक का०यं० / 400 के०व्ही०२ला०-नि० / 317 कांकेर दिनांक 05.08.2017 ।

— :: —

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। 220के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन प्रस्तावित 400/220के.व्ही उपकेन्द्र जगदलपुर से 220/132 के.व्ही उपकेन्द्र बारसूर तक लाईन निर्माण हेतु लाईन के पथ पर आने वाले राजस्व वन भूमि (छोटे- बड़े झाड़ के जंगल) के प्रत्यावर्तन (डायवर्सन) हेतु तहसील बस्तर, लोहण्डीगुड़ा, तोकापाल, दरभा एवं बास्तानार के अंतर्गत निम्नानुसार ग्रामों के राजस्व वन भूमि का चिन्हांकन संयुक्त दल (अनुविभागीय अधिकारी (रा०), तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी) के द्वारा किया गया है :-

राजस्व वन भूमि का विवरण

क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा	कुल प्रभावित रकबा (हे.)	
1	लोहण्डीगुड़ा	सुरगुड़ा	KH. 613	2.580	0.587	
2			KH. 530	2.060	0.463	
3			KH. 528	1.120	0.176	
4			KH. 521	1.860	0.436	
5			KH. 519	1.820	0.517	
6			KH. 516	3.660	0.261	
7			KH. 526	0.600	0.197	
8			KH. 524	1.530	0.019	
9			KH. 522	3.680	0.217	
10			KH. 646	0.320	0.049	
11	तोकापाल	करंजी	KH. 874	1.270	0.293	
12			टेकामेटा	KH. 327	0.560	0.075
13				KH. 325	0.330	0.045



14		पलवा	KH. 41	0.220	0.044
15			KH: 39	0.350	0.052
16			KH. 28	1.590	0.350
17		रायकोट	KH. 73	1.39	0.366
18			KH. 238	2.37	0.468
19			KH. 18	1.12	0.019
20		पथरिल उर्फ उड़वा	KH. 710	0.040	0.022
21			KH. 705	0.130	0.001
22			KH. 704	0.060	0.172
23			KH. 695	3.150	0.101
24			KH. 356	11.500	0.089
25			KH. 321	0.070	0.047
26			KH. 298	0.070	0.002
27		माउलीभाटा	KH. 14	0.044	0.044
28			KH. 847	3.390	0.714
29			KH. 779	0.030	0.013
30		बूरुंगपाल	KH. 699	8.900	1.125
31			KH. 695	0.430	0.236
32			KH. 694	0.260	0.061
33			KH. 34	1.260	0.293
34		गूराम	KH. 91	0.720	0.001
35			KH. 88	0.150	0.032
36			KH. 92	1.400	0.419
37		तेलगा आरापुर	KH. 13/2	0.400	0.200
38			KH. 590	0.100	0.030
39		एराकोट	KH. 375	0.340	0.032
40			KH. 262	0.550	0.010
41			KH. 847	0.410	0.135
42			KH. 846	0.980	0.040
43			KH. 845	0.750	0.095
44			KH. 843	1.380	0.471
45		नैनार	KH. 833	2.340	0.238
46			KH. 834	0.390	0.317
47			KH. 859	2.540	0.595
48			KH. 745	0.820	0.428
49			KH. 744	2.450	0.420
50			KH. 848	0.350	0.167



61			KH. 850	0.210	0.160
62	दरभा	काटाकांदा	KH. 200	0.280	0.022
63			KH. 199	1.740	0.109
64	बास्तानार	बड़े किलेपाल	KH. 381/52	4.249	0.211
65		मूतनपाल	KH. 293	6.510	0.946
66			KH. 291	14.720	0.973
67			KH. 272	1.230	0.181
68			KH. 268	3.760	0.214
69			KH. 226	4.020	0.105
70		तिरथुम	KH. 155	0.900	0.256
71			KH. 153	0.220	0.013
72			KH. 154	1.120	0.586
73			KH. 115	4.140	0.306
74		लालागुड़ा	KH. 114	2.560	0.474
75			KH. 486	0.530	0.075
76			KH. 435	0.380	0.086
77		दोकम	KH. 419	5.570	0.919
78			KH. 80	1.170	0.278
79			KH. 78	1.510	0.082
80			KH. 77	1.830	0.533
81			KH. 75	3.450	0.023
82			KH. 30	1.920	0.325
83			KH. 71	3.370	0.351
84			KH. 17	1.430	0.316
85			KH. 20	7.310	0.713
86			KH. 18	3.760	0.043
87			कोड़ेनार	KH. 714	0.400
88		KH. 699		3.070	0.305
89		KH. 647		3.280	0.833
90		तुरांगुर	KH. 363	3.120	0.057
91			KH. 257	4.160	0.867
92	KH. 184		0.090	0.094	
93	बस्तर	महुपालबरई	KH. 98	9.35	0.561
94			KH. 91	1.02	0.461
95			KH. 100	12.58	0.040
96			KH. 85	0.95	0.509
97		परचनपाल /	KH. 22	0.300	0.137



98	बांगापाल	KH. 19	0.150	0.082
99	कोलचूर	KH. 451	0.270	0.057
100	कबी आसना	KH. 547	0.070	0.033
कुल				23.535 (हे.)

चूँकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है।

अतएव उपरोक्त भूमि के संबंध में चरम वामपंथ प्रभावित जिला के लिए छुट में सम्मिलित गतिविधियों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है, तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।



पृ0क्रमांक / क / रीडर / 2017

प्रतिलिपि :-

वन मण्डलाधिकारी, बस्तर वन मंडल (सा10) जगदलपुर की ओर सूचनार्थ ।

K.
 (धनंजय देवांगन)
 कलेक्टर
 जिला बस्तर
 जगदलपुर, दिनांक 08/08/2017

K.
 (धनंजय देवांगन)
 कलेक्टर
 जिला बस्तर